मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल — 462004

अति—महत्वपूर्ण

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : mdmpmandiboard@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक / बी—5 / 2 / ई—अनुज्ञा (ऑ.ला.) / 2019—20 / 1188 भोपाल दिनांक 05 अगस्त 2019

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)

(02) सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
समस्त जिला समस्त (म0प्र0)

विषयः—प्रदेश की मण्डी समितियों में दैनिक क्रियाकलापों के अंतर्गत पाक्षिक विवरण, भुगतान पत्रक, प्रदेश के बाहर से आयतित कृषि उपज एवं बिलों के आधार पर व्यापारी द्वारा छोटी छोटी मात्रा में विक्रय उपज की प्रविष्टि के संबंध में।

संदर्भः—1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक बी—5 / 2 / ई—अनुज्ञा (ऑ.ला.) / 2019—20 / 1182—1183 दिनांक 31 जुलाई 2019।
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक बी—5 / 2 / ई—अनुज्ञा (ऑ.ला.) / 2019—20 / 1186—1187 दिनांक 05 अगस्त 2019।

—0—

उल्लेखित विषय में प्रदेश की मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी के खाते में कृषि उपज के मण्डी फीस व निराश्रित सहायता राशि चुकाये (माह में निर्धारित पक्ष दिनांक 01 अगस्त 2019 से 15 अगस्त 2019 तक की अवधि का पाक्षिक विवरण पत्रक अनुसार) जिन्सवार स्कंध को ई—अनुज्ञा प्रणाली पर ऑनलाईन दर्ज कराया जाना है। साथ ही मण्डी प्रांगण में अनुबंध तथा मण्डी प्रांगण के बाहर सोदा पत्रक के माध्यम से क्रय उपज के विक्रेता को भुगतान के प्रमाणीकरण हेतु क्रेता द्वारा जारी भुगतान पत्रक की प्रविष्टि, प्रदेश के बाहर से आयतित उपज की प्रविष्टि तथा व्यापारी द्वारा दैनिक बिलों के आधार पर छोटी छोटी मात्रा में विक्रय उपज की स्क्रीन में प्रविष्टि के निर्देश भी दिये गये हैं।

2/ कृषि उपज के मण्डी फीस व निराश्रित सहायता राशि चुकाये दिनांक 01 अगस्त 2019 से 15 अगस्त 2019 तक की अवधि का पाक्षिक विवरण पत्रक अनुसार जिन्सवार स्कंध को ई—अनुज्ञा पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज किया जाना है। ऐसी स्थिति में मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी से दिनांक 16 अगस्त 2019 को उक्त अवधि की पाक्षिक अपवादिक / अनिवार्य रुप प्राप्त करेंगे। इसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन व्यापारियों की प्राथमिकता तय करें जिनके द्वारा मण्डी / मण्डी प्रांगण के बाहर नियमित रुप से कृषि उपज क्रय की जाकर अनुज्ञा पत्र के माध्यम से निर्गमित की जाती है। जिससे दिनांक 16 अगस्त 2019 की स्थिति में उनके उपलब्ध स्कंध अनुसार व्यापारी द्वारा प्ररुप—10 प्रस्तुत करने पर मण्डी द्वारा प्ररुप—9 में निर्गमन की अनुमति जारी करने में व्यवधान न हो सके।

3/ मण्डी समिति के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी के खाते में दिनांक 16 अगस्त 2019 की स्थिति में उनके खाते में अवशेष मण्डी फीस व निराश्रित सहायता राशि को आगामी दिवस में अनिवार्य रुप से मण्डी फीस/निराश्रित सहायता राशि स्क्रीन में भी प्रविष्टि करावें। जिससे उनके खाते में शेष राशि का उपयोग वह आगामी संव्यवहार में कर सके।

4/ अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा मण्डी प्रांगण में अनुबंध तथा मण्डी प्रांगण के बाहर सौदा पत्रक के माध्यम से क्रय उपज के विक्रेता को भुगतान के प्रमाणीकरण हेतु जारी भुगतान पत्रक की प्रविष्टि "दिनांक 16 अगस्त 2019 से" भुगतान पत्रक स्क्रीन में प्रविष्टि करावें। जिससे दिनांक 16 अगस्त 2019 से व्यापारियों को पाक्षिक विवरण पत्रक की प्रविष्टि के अभाव तथा सीजन में कार्य के दबाव की स्थिति में क्रय उपज को निर्गमित करने में असुविधा न हो। साथ ही भुगतान पत्रक की पृथक पृथक प्रविष्टि जारी होने के दिनांक से अनिवार्य रुप से करा लेवें।

5/ प्रदेश के बाहर से आयतित कृषि उपज की प्रविष्टि मण्डी प्रांगण/प्रांगण के बाहर पदस्थ मण्डी कर्मचारियों द्वारा ई-अनुज्ञा अंतर्गत ऑनलाईन ही की जावेगी। इसके लिये आवश्यक व्यवस्था करा ली जावे।

6/ व्यापारी द्वारा अपने प्रतिष्ठान से प्रतिदिन छोटी छोटी मात्रा में विक्रय की जाने वाली कृषि उपज की प्रविष्टि भी एकजाई कृषि उपज की विक्रय स्क्रीन में जिन्सवार करावें। जिससे व्यापारियों द्वारा क्रय की गई कृषि उपज के साथ ही प्रतिदिन बिलों के आधार पर छोटी-छोटी मात्रा में विक्रय स्कंध उपरांत वास्तविक स्कंध ज्ञात हो सके। इस बावत् भी व्यापारियों से चर्चा कर प्रतिदिन की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

उपरोक्त बिन्दुवार कार्यवाही अंतर्गत निर्देशों का बिना चूक समय सीमा में पालन किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे दिनांक 16 अगस्त 2019 से ई-अनुज्ञा अंतर्गत दैनिक क्रियाकलापों की ऑनलाईन प्रविष्टि निर्धारित स्क्रीन में सुनिश्चित कराते हुये अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्ररुप-10 के तहत मण्डी द्वारा ऑनलाईन प्ररुप-9 शतप्रतिशत जारी किये जाने में व्यवधान उत्पन्न न हो सके।

5/8/19

(अशोक कुमार वर्मा)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.) / 2019–20 / 1189 भोपाल दिनांक 05 अगस्त 2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(2) अपर संचालक (नियमन / एम.आई.एस. / वित्त / कार्मिक), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(3) श्री ए0एन0सिद्धीकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(4) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(5) संयुक्त संचालक (नियमन) / उप संचालक (वित्त / आडिट), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(6) श्री संजीव अग्निहोत्री, प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(7) श्री रामकिशुन असाटी, कन्सलटेंट, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

5/8/19

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल